न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/46/2019

प्रवेश तिथि 09.07.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री मोहनलाल शर्मा पटवारी, तहसील–रामगढ निवासी–गुरूद्वारा के पास, बडौदामेव, जिला–अलवर–301021		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर अलवर (राज.)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.08.19

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन दिनांकः 20.05.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सेवानिवृत कार्मिक श्री प्यारेलाल प्रजापत, तत्कालीन रीडर की राजकीय सेवा संबंधी 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई।
5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक को उक्त आवेदन दिनांकः 20.05.19 में वर्णित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.07.19 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। प्रत्यर्थी की ओर से पत्रांकः 300 दिनांकः 16.7.2019 के जरिये बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांकः 03.07.2019 में निवेदन किया है कि एक ही प्रकरण में एक जैसे नियमों में अलग–अलग कर्मचारियों पर अलग–अलग नियम लागू कर प्रार्थी को हानि पहुँचाई जा रही है। पारदर्शिता हेतु सूचना दिया जाना जनहित में है। सूचना दिलाई जावे तथा न्यायालय के नोटिस क्रमांकः 910 दिनांकः 23.07.19 के अनुपालन में दिनांकः 29.07.19 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हें लोक सूचना अधिकारी की ओर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
8. हमने अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 20.05.2019 व उस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किये गये विनिश्चय का गौर किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम, 2005 अन्तर्गत प्रथम आवेदन

दिनांकः 20.05.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से सेवानिवृत कार्मिक श्री प्यारेलाल प्रजापत, रीडर के रिटायरमेंट आदेश, उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा फौजदारी कार्यवाही, रिटायरमेंट के समय मिलने वाले परिलाभ, पेंशन, चयनित वेतनमान व प्रोबेशन संबंधी 05 बिन्दुओं पर कतिपय सूचना की वांछा की गई।

9. उक्त आवेदन दिनांकः 20.05.2019 में वांछित सूचना अपीलार्थी स्वयं की ना होकर तृतीय पक्षकार की होने के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांकः 175–77 दिनांकः 13.06.19 के माध्यम से संबंधित सेवानिवृत कार्मिक से वांछित सूचना जारी किए जाने अथवा नहीं जारी किए जाने के संबंध में लिखित सहमति/असहमति प्राप्त की गई। जिसके अनुक्रम में श्री प्यारेलाल प्रजापत, रीडर, सेवानिवृत, कार्यालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 24.06.19 जो कि प्रत्यर्थी के कार्यालय को दिनांकः 26.06.19 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से वांछित जानकारी स्वयं के सेवा संबंधी व्यक्तिगत जानकारी होने व गोपनीय सूचनाऐं होने के कारण सूचना जारी किए जाने में असहमति व्यक्त की गई। उक्त असहमति के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 288–90 दिनांकः 26.06.19 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 व 8 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रथम आवेदन दिनांकः 20.05.19 खारिज कर विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया गया।

10. अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 20.05.19, उस पर प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय व प्रथम अपील दिनांकः 03.07.19 में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 20.05.19 में जहाँ तक सेवानिवृति आदेश उपलब्ध कराने का प्रश्न है, रिटायरमेंट आदेश शासकीय सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन/सेवानिवृत होना लोक विषय हैं और इसे निजी गतिविधि नहीं माना जा सकता है, बिन्दु सं. 2 अन्तर्गत किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराया जाना सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है, मात्र स्वयं प्रार्थी को ही इस प्रकार की जानकारी विधिक परीक्षणोपरांत उपलब्ध कराई जा सकती है, बिन्दु सं. 3 व 5 में वांछित जानकारी प्रश्नात्मक है तथा विश्लेषणोपरांत उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना है जिसे कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांकः 10.07.2008 के आलोक में उपलब्ध कराया जाना उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत कवर नहीं होता है, बिन्दु सं. 4 में वांछित

जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने व कर्मचारी की शासकीय सेवा संबंधी निजी जानकारी होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

11. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांकः 03.07.19 में वांछित सूचना जनहित में होना अंकित किया है लेकिन वांछित सूचना में विस्तृत लोकहित निहित होने संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

12. उक्त आलोक में अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त अपील, प्रथम आवेदन दिनांकः 20.05.2019 के बिन्दु सं. 1 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार की जाती है व प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं.1 में वांछित आदेश यदि उनके कार्यालय में उपलब्ध हो तो प्रमाणित कर निःशुल्क पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित करें व उसकी सूचना संबंधित कार्मिक को भी भिजवाई जावे एवं शेष 02 लगायत 05 बिन्दुओं पर वांछित जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने, वांछित सूचना में विस्तृत लोकहित निहित नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांकः 26.06.2019 के माध्यम से अधिनियम, 2005 की धारा 11 व 8 में उपलब्ध प्रावधानों के प्रकाश में किए गए विनिश्चय को उचित मानते हुए प्रथम अपील खारिज की जाती है।

13. प्रथम अपील के साथ संलग्न होकर प्राप्त आई.पी.ओ. सं. 40 एफ 982494 राशि रू. 10/– अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार प्रथम अपील निःशुल्क रखने के कारण मूल आई.पी.ओ. अपीलार्थी को वापस किया जावे।

14. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

15. निर्णय घोषित।

6/7/19

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)